न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बापिणी जिला फलौदी

पीठासीन अधिकारीः– गजेन्द्र शर्मा आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–16 / 2024

प्रार्थीगण :–
1. ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम
2. पुरूषोतम पुत्र तुलछाराम
   जाति ढोली निवासी सांवता तहसील बापिणी जिला फलौदी।

बनाम

अप्रार्थी :–
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलौदी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण :– राजुराम चौधरी।

अप्रार्थी की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–3 / 04 / 2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर बताया कि बापिणी तहसील के पटवार मण्डल मतौडा के राजस्व ग्राम सांवता में प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 256 रकबा 10.1657 हैक्टेयर एंव ग्राम जाटों की ढाणी हडमानसागर में खसरा नम्बर 435 रकबा 16.4707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 6.2564 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है जिसका सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किये गये तथा अप्रार्थी सम्मन तामिल सुदा न्यायालय को प्राप्त हुऐ अप्रार्थी की ओर से राज–पैरोकार उपस्थित हुऐ और प्रार्थना पत्र का जबाब दिये जाने एंव अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय एंव अवसर किये जाने पर जबाब पेश किया गया जो शामिल मिशल किया गया।

अप्रार्थी का जबाब पेश हो जाने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस करने का अनुरोध किया। विद्ववान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरान को दौहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम सांवता में प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 256 रकबा 10.1657 हैक्टेयर एंव ग्राम जाटों की ढाणी हडमानसागर में खसरा नम्बर 435 रकबा 16.4707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 6.2564 हैक्टेयर भुमि की सुरक्षा के लिए जाली तारबन्दी करवाकर पत्थर गढी करवाकर खेत के कणा माठ कायम करवाने हेतू पेमाईस व पत्थरगढी करवाना चाहते है और पडौसी खातेदार खेत की सीमा माठ को खुर्द–बुर्द करने की चेष्ठा कर रहे हैं। उक्त आराजियत के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि के पुख्ता स्थाई मुटाम सुनियोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया हैं और

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी
जिला - फलौदी

कलेक्टर बापिणी (फलौदी)

प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थना पत्र धारा 110, 111, 128 एल आर एक्ट में पेश किया हैं तथा प्रार्थीगण की भुमि की पैमाईश कर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। तहसीलदार बापिणी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियत के संयुक्त खातेदार कास्तकार होने से पत्थरगढी किये जाने से कोई आपत्ति नहीं की गई हैं।

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस सुन कर मनन किया जाकर यह पाया गया हैं कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ईस्तदुआ अनुसार प्रार्थीगण के पडौसीयान के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन पड़ोसीं से सीमा संम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है और पत्थरगढी के अभाव में खेत में बोयी जाने वाली फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। चुकिं प्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं एंव प्रार्थीगणों द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया हैं अतः प्रथम द्रृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी करवाया जाना उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और ऐसी ही प्रार्थीगण ने इस्तदुआ चाही हैं एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है प्रार्थीगणों का यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक न्याय में स्वीकार किये जाने के योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 110,111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार बापिणी के पटवार मण्डल मतौडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सांवता के खसरा नम्बर 256 रकबा 10.1657 हैक्टेयर एंव ग्राम जाटों की ढाणी हडमानसागर के खसरा नम्बर 435 रकबा 16.4707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 6.2564 हैक्टेयर जमीन का सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर रिकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा पत्थरगढी के दौरान् मौके पर किसी अन्य का कब्जा पाया जाये तो उसे जरिये पत्थरगढी नहीं हटाया जाये तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब आवश्यक रूप से पेश करें। निर्णय पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 3 /04/2025 को सुनाया गया।

(गजेन्द्र शर्मा) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
अधिकारी बापिणी
जिला - फलोदी

कलेक्टर बापिणी
फलोदी